कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक- 10576 सी0जे0जे0 / 4सी0जेड0(पे0पं0) / 2015,

दिनांक- 25/9/15

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मेसर्स इण्डियन ऑयल
कार्पोरेशन लिमिटेड, सीतापुर द्वारा बहराईच-सीतापुर राज्य मार्ग सं0-30 पर ग्राम पुरैनी ब्लाक बिसवां, जिला-सीतापुर की गाटा सं0-314
की भूमि पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) स्थापित किये जाने का कार्य स्थल बहराइच सीतापुर राज्य मार्ग सं0-30 के
किमी0-62 चैनेज 61.472 से चैनेज 61.507 तक के मध्य मार्ग के लेपित सतह के मध्य से 75 फिट की दूरी के बाद बॉयी तरफ
पक्का निर्माण कराया जाय।
2. सेन्ट्रल स्ट्रिप ग्लो साइन बोर्ड सड़क की भूमि के बाहर की भूमि पर निर्मित किया जायेगा तथा बफर स्ट्रिप के पास हेजेज की
ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जायें।
3. प्रस्तावित पम्प पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साइन बोर्ड होल्डिंग न लगाया जाये, जिससे भूमि तल से 3.00 मी0 का क्लीरेन्स
न हो।
4. प्रस्तावित पम्प के प्रवेश एवं निकास पर सड़क पर यातायात की विजिबिल्टी में कोई अवरोध न उत्पन्न हो।
5. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त
समझा जायेगा।
6. प्रस्तावित पेट्रोल / डीजल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य करने से पूर्व पार्टी को उ0प्र0 शासन, लखनऊ से लाइसेंस
डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है। इसके लिए अलग से निर्देश दिया जायेगा।
7. प्रस्तावित निर्माण स्थल का पानी निकासी मार्ग पर न किया जाये तथा उस स्थान का लेबिल मार्ग के लेबिल से ऊँचा
न किया जाये।
8. निर्माण स्थल हेतु आवश्यक पहुँच मार्ग एवं 1.00 मी0 व्यास की आर0सी0सी0 ह्यूम पाईप एन0पी0-3 पुलिया / नाली का निर्माण
प्रार्थिनी स्वयं अपने व्यय से वहन करेगी तथा प्रार्थिनी स्वयं की भूमि पर पेट्रोल / डीजल पम्प स्थापित करेगी जिससे वर्षा के
पानी के बहाव में कोई अड़चन न उत्पन्न हो। पहुँच मार्ग के अतिरिक्त शेष लम्बाई में भी सड़क के समानान्तर 1.00 मी0 की
चौड़ाई में नाली बनाकर लोहे की ग्रीटिंग से ढकना होगा।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल / डीजल पम्प का निर्माण प्रार्थिनी स्वयं अपनी भूमि पर करायेगा एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र
सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके प्रस्तुत करेगी, यदि भविष्य में भूमि सम्बन्धी कोई विवाद होता है, तो प्रार्थिनी स्वयं जिम्मेदार
होगी।
10. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
11. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, सीतापुर के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
सीतापुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. एम0ओ0आर0टी0एच0 द्वारा जारी पत्रांक-आर0डब्लू0 / एन0एच0 33023 / 19 / 99 डी0ओ0- 111, दि0 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों
व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आई0आर0सी0 कोड 12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।
14. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने
व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-आर0डब्लू0 / एन0एच0-33023 / 19 / 99-डी0ओ0-III, दि0 24.07.13
द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि विजया बैंक, जिला-सीतापुर का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-S011230689, दि0 08.07.2015
रू0 2,20,000 / - एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-S011230687, दि0 08.07.2015 रू0 10,000 / - कुल रू0 2,30,000.00 जो अधिशासी
अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र सं0-1795 / एम-8, दि0 18.08.2015
तथा अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र सं0-4239 / 330सी-सी0वी0 / 15, दि0 21.08.2015 द्वारा की
गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति
प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-4239 / 330सी-सी0वी0 / 15, दि0 21.08.2015 द्वारा
की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-1795 / एम-8, दि0 18.08.2015 द्वारा की गयी संस्तुति
के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

विकास वर्मा/VIKAS VERMA
वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (RS)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि०/Indian Oil Corporation Limited
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow